कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 2080/12-1 देहरादून, दिनांक 14, जनवरी, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थायी खण्ड,
लो0नि0वि0, ऋषिकेश

विषयः— जनपद—देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुड़ान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1371/X-4-18/1(225)/2018 दिनॉक— 31.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून को सम्बोधीत तथा कार्यालय एवं आपको भी पृष्ठांकीत है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयॅकित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित 05 शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए निम्न धनराशि लेखा संख्या—एस0बी0—25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक—11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज—1, लोधी रोड़ नई दिल्ली—110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तो के अनुपालन में देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः—

मद	क्षेत्रफल है0 में	घनत्व	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
वनीकरण एवं 10 वर्षो का रखरखाव	1.20	-	-	278665.00	334398.00
एन0पी0वी0	-	0.5	V	845000.00	507000.00

शर्त संख्या— 1 के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

शर्त संख्या— 2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0—566 एव भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ0सी0 दिनॉक—05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान भूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जानी है।

इसी प्रकार सैद्वान्तिक स्वीकृति की **शर्त संख्या— 3 के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।**

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या—2 उल्लिखित धनराशि भारत सरकार नई दिल्ली को उपलब्ध कराते हुए शर्त संख्या—4 के अनुसार एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में सक्षम स्तर से यदि बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि को जमा करने हेतु प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः— / 12—1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भि पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी बडकोट रेंज को इस आश्य से प्रेषित कि भारत सरकार नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयॅकित प्रस्ताव मे प्रदत्त की गई सैद्वान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

Scanned by CamScanner